शीर्ष प्राथमिकता

परिपत्र संख्या- २२ सामा-1/2019(4)

प्रेषक,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक,
आदर्श/केन्द्रीय/जिला/उप कारागार, उत्तर प्रदेश।

दिनांक २५ जुलाई, 2019

विषयः- प्रदेश की कारागारों की प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़ करने एवं बन्दियों के पलायन की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण रखे जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अभी हाल ही में जिला कारागार इटावा से 02 बन्दियों द्वारा अड़गड़ा काट कर पलायन कर जाने की घटना ने कारागारों की सुरक्षा व्यवस्था पर प्रश्नचिन्ह लगा दिया है तथा कारागार अधिकारियों/कर्मचारियों की अकर्मण्यता एवं कर्तव्योपेक्षा को उजागर कर दिया है।

इस घटना की प्रारम्भिक जांच में कारागार की सुरक्षा व्यवस्था एवं अधिकारियों/कर्मचारियों की शिथिलता के सम्बन्ध में निम्नलिखित तथ्य सामने आये हैं।

1. कारागार के संवेदनशील कक्षों के अड़गड़े फ्लैट आयरन के होने के साथ-साथ अत्यन्त जर्जर स्थिति में थे।
2. पूर्व में कारागार से पलायित बंदी को 02 अन्य कुख्यात बन्दियों के साथ एक ही कोठरी में निरूद्ध किया गया था।
3. कारागार के प्रवेश द्वार पर तथा कारागार की तालाबंदी के समय सघन तलाशी की व्यवस्था नियमानुसार संचालित नहीं थी।
4. एक ही जेलवार्डर के प्रभार में कई बैरकों सहित संवेदनशील कक्षों का प्रभार भी दिया गया था।
5. कारागार में जेल वार्डरों एवं होमगार्ड कर्मियों द्वारा पर्याप्त सतर्कता एवं सजगता से ड्यूटी नहीं की जा रही थी।
6. अधीक्षक कारागार एवं कारापाल द्वारा प्रभावी रात्रिगश्त नहीं किये जा रहे थे।

कारागारों से बंदी पलायन रोके जाने हेतु जेल मैनुअल में पर्याप्त प्राविधान उपलब्ध हैं तथा इस सम्बन्ध में शासनादेश एवं परिपत्रों द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किये गये हैं किन्तु इसके बावजूद कारागार अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों के प्रति निरन्तर गम्भीर लापरवाही एवं उदासीनता बरती जा रही है।

अतः कारागारों से पलायन की घटनाओं पर अंकुश लगाये जाने हेतु निम्नलिखित दिशानिर्देश पुनः निर्गत किये जाते हैंः-

कृपया:-2-

1. कुख्यात एवं पलायन की प्रवृत्ति वाले बंदियों को रखे जाने से पूर्व कारापाल एवं अधीक्षक द्वारा उक्त बैरक अथवा कोठरी की सुरक्षा व्यवस्था की गहन समीक्षा की जाये।
2. ताला बंदी के समय जेल मैनुअल के प्रस्तर-768 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार अहातों/बैरकों एवं बंदियों की सघन तलाशी सुनिश्चित की जाये।
3. जेल नियमावली के प्रस्तर-1163 में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप कारागार के सभी जंगलो व अड़गड़ों की बारीकी से प्रत्येक दिन जांच करायी जाये तथा पलायन में सहायक सीढ़ी, बांस, रस्सी, बल्ली आदि को सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाये।
4. कारागार में आने वाले मुलाकातियों, बंदियों, आगन्तुकों तथा कारागार कर्मियों की सघन तलाशी कराया जाना सुनिश्चित कराया जाये जिससे किसी प्रकार की निषिद्ध वस्तु कारागार के अन्दर न पहुंच सके।
5. तलाशी व्यवस्था की आकस्मिक रूप से चेकिंग कारापाल तथा अधीक्षक द्वारा समय-समय पर की जाये तथा प्रत्येक दिन किसी एक बैरक अथवा स्थल की तलाशी उनके द्वारा अपनी उपस्थिति में करायी जाये।
6. अड़गड़े, नालियों की डबल जाली, तालों आदि की नियमित चेकिंग की जाये तथा आवश्यकतानुसार मरम्मत कराकर ठीक रखा जाये। इस चेकिंग की सप्ताह में एक बार अधीक्षक स्तर पर गहन समीक्षा की जाए।
7. सामान्य रात्रि गश्त के अतिरिक्त कारापाल द्वारा सप्ताह में एक बार रात्रि 10:00बजे के उपरान्त आकस्मिक गश्त किया जाये तथा वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक द्वारा माह में 02 से अधिक बार आकस्मिक रूप से कारागार का रात्रिगश्त किया जाये।
8. कारागार की विद्युत आपूर्ति व्यवस्था तथा वैकल्पिक विद्युत व्यवस्था की प्रत्येक दिन सायंकाल समीक्षा की जाये।
9. कारागार की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किये जाने हेतु मरम्मत सम्बन्धी जो कार्य कारागार स्तर से कराये जा सकते हैं उन्हें अविलम्ब करा लिया जाये तथा जिन कार्यो को मुख्यालय स्तर से स्वीकृत किया जाना है उनका पूर्ण औचित्य सहित प्रस्ताव अविलम्ब उपलब्ध कराया जाये।
10. कारागारों पर स्थापित सी0सी0टी0वी0 की अधीक्षक तथा कारापाल द्वारा मानिटरिंग अवश्य की जाये तथा ड्यूटी में शिथिल कर्मियों के विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
11. ऐसे अहाते/बैरकें जो खाली पड़ी हुयी हैं अथवा जहां निर्माण कार्य चल रहा है उनकी नियमित तलाशी तथा विशेष निगरानी हेतु समुचित प्रबन्ध अवश्य किया जाये।
12. दोपहर में भोजन वितरण के उपरान्त नियमानुसार बंदियों की गणना कराकर बैरकों को बंद कराया जाये तथा प्रत्येक अहाते का अड़गड़ा

कृपया:-3-

भी बन्द रखा जाये ताकि बंदियों के अनावश्यक आवागमन पर नियंत्रण बना रहे।

13. बाहर कमान के बन्दियों का चयन कारापाल एवं अधीक्षक द्वारा स्वयं किया जाये तथा कमानों की चेकिंग नियमित रूप से सुनिश्चित की जाये।

14. वाह्य अस्पतालों में बन्दियों को पुलिस गार्ड की अभिरक्षा में ही भेजा जाये। विशेष परिस्थितियों में पुलिस गार्ड न मिलने पर कम से कम 02 बंदीरक्षकों की अभिरक्षा में बंदी को वाह्य चिकित्सालय में भेजा जाये तथा रूटीन चेकिंग के अतिरिक्त अधिकारियों द्वारा आकस्मिक रूप से सुरक्षा कर्मियों की चेकिंग अवश्य की जाये।

आप सहमत होंगे कि कारागार की सुरक्षा व्यवस्था तभी सुदृढ हो सकती है जब बन्दियों तथा ड्यूटी के कर्मचारियों में यह आशंका बनी रहे कि उच्चाधिकारी कभी भी आकर चेकिंग कर सकते हैं। यदि कारागार के अधिकारी एवं कर्मचारी कारागार की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु प्रतिबद्ध हो जायें तो निश्चित रूप से कारागारों से होने वाले पलायन की घटना को रोका जाना संभव हो सकेगा।

25/7/19

(आनन्द कुमार)
पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

परिपत्र पृ0संख्या- २२ सामा-1/2019(A) दिनांकः २५ जुलाई, 2019

प्रतिलिपि समस्त पुलिस उप महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक, कारागार, समस्त परिक्षेत्रीय कार्यालय, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ कि कारागारों के निरीक्षण के दौरान सुरक्षा के विभिन्न बिन्दुओं की समीक्षा के साथ-साथ उपर्युक्त चेक प्वाइंट्स की समीक्षा कर अनुपालन की स्थिति का अंकन निरीक्षण नोट में किया जाना सुनिश्चित करें।

25.7.19

(वी0के0 जैन)
अपर महानिरीक्षक(प्र0/वि0)
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।